"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 सितम्बर 2010—आश्विन 8, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/39/2010/वाक/पांच (63).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/62/2008/वाक/पांच (52) दिनांक 12-09-2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अधिसूचना की कालावधि से संबंधित अंक "30-09-2010" के स्थान पर अंक "31-12-2010" प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ-10/39/2010/वाक/पांच (63).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/39/2010/वाक/पांच (63), दिनांक 29-09-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 29th September 2010

NOTIFICATION

No. F-10/39/2010/CT/V (63).—In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. F-10/62/2008/CT/V (52) dated 12-09-2008 :—

AMENDMENT

In the said notification for the figure "30-09-2010" related to period of the notification, the figure "31-12-2011" shall be substituted :—

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

* संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.